मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खंड कमांक–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

कमांक /20727/ 22 / वि–12 / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि. / 23 भोपाल दिनांक 28/ 12 / 2023

प्रति,

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई–अनूपपुर, अशोकनगर–1 व 2, बालाघाट–1 व 2, छिंदवाड़ा 1 व 2, दतिया, डिंडोरी, गुना–1 व 2, ग्वालियर, मण्डला, मुरैना, नरसिंहपुर 1 व 2, सतना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी–1 व 2, सीधी (मध्यप्रदेश)

विषय :– PM-JANMAN योजनांतर्गत PVTGs बसाहटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु कार्य योजना तैयार किये जाने बाबत्।

संदर्भ :- **01.श्री एस.एन.मिश्रा, अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग का पत्र क्रमांक 8321 भोपाल दिनांक 20.12.2023**

02.श्री विभु नायर, सचिव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 14012 दिनांक 16.12.2023

03. श्री अमित शुक्ला, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 17025 दिनांक 07.12.2023

––0––

विषयांतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा PVTGs (Particularly Vulnerable Tribal Gropus) समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विकास विभागों के सहयोग से योजना का कियान्वयन किया जाना है। इस हेतु दिनांक 15.11.2023 को PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 11 तरह के विकास कार्यो को सम्मिलित किया गया है। इसमें से PVTG की बसाहटों को संपर्कता प्रदान करना भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत संपूर्ण देश हेतु राशि रू. 24104 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्रांश रू. 15336 करोड़ एवं राज्यांश रू. 8768 करोड़ सम्मिलित है।

उक्त योजना में मध्यप्रदेश की 03 विशेष जनजाति यथा बैगा, भारिया एवं सहरिया चिन्हित् की गई जो 22 जिलों में निवासरत है। PVTG बसाहटों को संपर्कता प्रदान करने हतु प्राप्त दिशा–निर्देश अनुसार कार्य योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–1 के मापदण्डों के अनुरूप 100 एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले संपर्कता विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की जाना है। इस हेतु अधिकतम सीमा रू. 1 करोड़ प्रति किमी सूचित की गई है।

भारत सरकार द्वारा PM-JANMAN योजना के प्रचार–प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है, तदनुसार योजना का प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के जनजाति विभाग (MoTA-Ministry of Tribal Affairs) की PVTG बसाहटों की सूची जो भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई है। साथ ही मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल के माध्यम से भी सूची प्राप्त हुई है।

उक्तानुसार प्राप्त सूची में से प्राथमिकता के आधार पर 276 हेविटेशन को जोड़ने हेतु MoTA से प्राप्त सूची का परीक्षण आपसे कराया गया, जिसके माध्यम से आपके द्वारा 170 हेविटेशन Un-connected होने से इन्हें जोड़ने हेतु कार्य योजना तैयार की जाना है, ध्वज ''अ'' पर संलग्न है।

उक्त योजना की ओमास पोर्टल पर PM-JANMAN के नाम से Scheme Open कर दी गई है। हेविटेशन / ग्रामों की जानकारी को PMGSY-2 में दर्ज किये जाना है तथा DRRP, TR/MRL एवं Proposals इत्यादि को PM-JANMAN दर्ज किया जाना है, इस संबंध में ''ध्वज–ब'' अनुसार आपको पूर्व में अवगत कराया गया था, सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है। आपके द्वारा इस पोर्टल पर

कार्य भी किया जा रहा है। अतः PM-JANMAN के अंतर्गत जोड़े जाने वाले हेबिटेशन का DRRP, TR/MRL एवं प्रपोजल में आवश्यक रूप से पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

उक्त दर्ज किये गये हेबिटेशन एवं DRRP की Marking Geo-Sadak पर करना सुनिश्चित करे, साथ ही ओमास पर प्रपोजल दर्ज होने के पश्चात् इसे Geo Sadak पर मार्क करें। उल्लेखनीय है, कि बिना Marking Proposal मान्य नही होंगे। Habitation, DRRP एवं Proposals को Marking होने के पश्चात् मुख्यालय से एप्रूव किया जावेंगा, इस संबंध में "ध्वज–स" अनुसार आपको अवगत कराया गया था, सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

डीपीआर पीएमजीएसवाय अंतर्गत डीपीआर Template पर तैयार किया जाना है। कुल लागत में पूर्वानुसार केन्द्रांशः राज्यांश क्रमशः 60:40 रहेंगा। तदानुसार निर्देशानुसार डीपीआर तैयार कराना सुनिश्चित करें। डीपीआर तैयार करने के संबंध में लक्ष्य आपको दिये गये है, इस संबंध में "ध्वज–द" अनुसार अवगत कराया गया था, सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है। लक्ष्य अनुसार डीपीआर दिनांक 31.12.2023 तक तैयार करना सुनिश्चित करें।

आपके द्वारा समस्त डीपीआरों को ओमास पर प्रपोजल में दर्ज करते हुये निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डानुसार STA एवं PTA से डीपीआर का परीक्षण कराकर scrutinize भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार तैयार डीपीआरों का परीक्षण NRIDA द्वारा किया जाना है। इस हेतु आपकों निर्देशित किया गया है कि मुख्यालय स्तर पर डीपीआरों का परीक्षण दिनांक 02 एवं 03 जनवरी 2024 को किया जावेंगा। इस हेतु मय डीपीआरों के साथ संबंधितों को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

NRIDA से डीपीआरों को परीक्षण कराये जाने हेतु दिनांक 04.01.2024 एवं 05.01.2024 को संबंधित महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक NRIDA नई दिल्ली में उपस्थित होकर डीपीआर का परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– यथोपरि।

(एम.एल.डाबर)
प्रमुख अभियंता,
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल (म.प्र.)

पृ. कमांक/30728/22/वि–12/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि./23 **भोपाल दिनांक 28/12/2023**

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता,
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल (म.प्र.)